छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक. 453/2004

युगल पीठ : माननीय श्री आई. एम कुद्दुसी एवं

माननीय श्री एन के अग्रवाल, न्यायमूर्तिगण

अपीलार्थी **विमला बाई एवं अन्य**

बनाम

प्रत्यर्थी **पन्नालाल एवं अन्य**

उपस्तिथि :

श्री एच वी शर्मा, अपिलार्थिगन की ओर से|

श्री सुनील साहू, प्रत्यार्थी क्र. 1, 2 और 4 की ओर से|

श्री एच बी अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्रीमती मीरा जैसवाल, प्रत्यार्थी क्र 3 की ओर से|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(मौखिक आदेश)

08.11.2010

माननीय श्री आई. एम कुद्दुसी के द्वारा -

1. यह अपील दिनांक 28.01.2004 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, कोरबा द्वारा एम. जे. सी. क्र. 11/2002 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा दायर आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन को निरस्त कर दिया गया था|
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं : यह कि मृतक छबीलाल की पत्नी, माता-पिता तथा नाबालिग पुत्री द्वारा संबंधित

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष एक दावा याचिका दायर की गई थी, जोकि मोटर दुर्घटना में छबीलाल की मृत्यु के पश्चात दायर की गई थी। उक्त दावा याचिका दिनांक 19.12.2000 को अभियोजक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण निरस्त कर दी गई। इसके पश्चात अपीलकर्ता क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 11.11.2002 को वाद पुनर्स्थापन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें विलंब की क्षमायाचना का निवेदन भी किया गया था। कारण यह बताया गया कि दावा याचिका के निरस्तीकरण से पूर्व ही मृतक की पत्नी के ससुर, अर्थात् महेत्तर नामक व्यक्ति, की मृत्यु हो गई थी और सम्पूर्ण परिवार अत्यंत दुःख एवं मानसिक पीड़ा की अवस्था में था। इस कारण वे अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सके, और जब उन्हें दिनांक 11.11.2002 को पहली बार यह ज्ञात हुआ कि दावा निरस्त कर दिया गया है, तब उन्होंने पुनर्स्थापन हेतु आवेदन दायर किया। इसके अतिरिक्त, मृतक छबीलाल की पत्नी द्वारा भी एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। मृतक के पिता, महेत्तर, जो इस दावा याचिका में पक्षकार भी थे। श्रीमती ननकी बाई, स्वर्गीय महत्तर राम की पत्नी ने अपने शपथपत्र में कहा कि उनके पति का निधन 27.02.2001 को हुआ था और उन्होंने अपनी बहू (अपीलकर्ता क्रमांक 1) के साथ मिलकर अपने दिवंगत पुत्र की मृत्यु के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु दावा याचिका दायर की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. माननीय न्यायाधिकरण ने आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनर्स्थापन के लिए दायर आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि आवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 के ससुर, अर्थात् महेत्तर, की मृत्यु दावा याचिका के निरस्तीकरण से पूर्व हो गई थी| हालाँकि, न्यायाधिकरण ने एक अन्य दावेदार ननकी बाई, जो मृतक छबीलाल (जिसकी

मृत्यु दुर्घटना में हुई थी) की माता हैं, द्वारा दायर शपथपत्र पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन के प्रारूपण में एक त्रुटि हुई थी, जिसके कारण "यह कि दिनांक 19-12-2000 को" के बाद "पूर्व" शब्द का उपयोग किया गया, जबकि वास्तव में वहाँ "पश्चात" शब्द लिखा जाना चाहिए था। यदि "पूर्व" की जगह "पश्चात" लिखा गया होता, तो आशय यह स्पष्ट होता कि दावा याचिका 19.12.2000 को अनुपालन न होने के कारण निरस्त की गई थी, और अपीलकर्ता क्रमांक 1 के ससुर की मृत्यु 27.02.2001 को हुई थी — जो लगभग दो माह बाद की घटना है| इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया गया था कि आवेदकगण अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें दावा याचिका के निरस्तीकरण के बारे में जानकारी बहुत बाद में, जब वे 11.11.2002 को इसके बारे में पहली बार जान पाए, तब ही हुई। अतः दावा याचिका के निरस्तीकरण की जानकारी उन्हें बाद में प्राप्त हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. यहाँ यह आवश्यक है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (6) को धारा 166 की उपधारा (4) के साथ पढ़ा जाए। धारा 158 अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रमाणपत्रों, लाइसेंस और अनुज्ञापत्र के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। इसकी उपधारा (6) में यह प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट से संबंधित कोई दुर्घटना घटती है और उसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट या सूचना दर्ज होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसका प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्राधिकार वाले दावों के न्यायाधिकरण को भेजनी होती है, और साथ ही उसकी एक प्रति संबंधित बीमाकर्ता को भी भेजनी होती है। यदि रिपोर्ट की प्रति वाहन के स्वामी को दी जाती है, तो स्वामी को भी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उक्त न्यायाधिकरण और बीमाकर्ता को

वह रिपोर्ट भेजनी होती है। धारा 166 क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन से संबंधित है। इसकी उपधारा (4) में यह व्यवस्था की गई है कि जब पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 158(6) के अंतर्गत रिपोर्ट भेजी जाती है, तो न्यायाधिकरण उस रिपोर्ट को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के आवेदन के रूप में ग्रहण करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकरण में दावा याचिका दायर करने के लिए किसी प्रकार की समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

5. उपर्युक्त तथ्यों और विधायिका की मंशा को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि दावा याचिका को पृथक रूप से दायर करना आवश्यक नहीं है, बल्कि धारा 158 की उपधारा (6) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को ही दावा याचिका के रूप में माना जा सकता है। धारा 166 की उपधारा (4) के अनुसार यह धारणा बनती है कि दावा याचिका अधिवक्ता के माध्यम से या स्वयं वादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर करना भी आवश्यक नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 में यह उपबंध है कि जब धारा 166 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन प्राप्त होता है, तो दावा न्यायाधिकरण संबंधित पक्षकारों (जिसमें बीमा कंपनी भी शामिल है) को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और दावे पर जांच करते हुए, धारा 162 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, न्यायोचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने हेतु अधिनिर्णय पारित करेगा। हमारे मतानुसार, यदि रिपोर्ट को दावा याचिका के रूप में दर्ज कर लिया जाता है, तो धारा 158(6) के अंतर्गत प्रस्तुत रिपोर्ट को धारा 166(4) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति आवेदन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसे में दावा न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह जाँच करे और सभी पक्षकारों, जिनमें वादीगण भी शामिल हैं, को सुनवाई का अवसर प्रदान करे। यह उल्लेखनीय है कि यदि किसी एक वादी को सूचना प्राप्त होती है, तो अन्य वादीगण प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित माने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जा सकते हैं और उन्हें भी दावा याचिका के वादी के रूप में ही माना जाएगा। हम यह भी मानते हैं कि न्यायाधिकरण को दावा याचिकाओं के पुनर्स्थापन में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत विधायिका ने स्वयं यह अवसर प्रदान किया है कि भले ही आवेदक पृथक रूप से दावा याचिका दायर न करें, फिर दावा याचिका के रूप में दर्ज किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता क्रमांक 1 की सास — अर्थात मृतक छबीलाल की माता, श्रीमती ननकी बाई — द्वारा दायर शपथपत्र की पूर्णतः उपेक्षा की है, जबकि उस शपथपत्र में उनके पति की मृत्यु की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की गई थी। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उक्त दावा याचिका को उसके मूल क्रमांक पर पुनः बहाल किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ***जय प्रकाश बनाम नेशनल इन्सुरांस कंपनी लिमिटेड*, (2010) 2 SCC 607** के प्रकरण में यह अभिमत व्यक्त किया कि दावों के निपटान या निर्णय में दावे न्यायाधिकरणों द्वारा होने वाली प्रक्रियात्मक देरी से पीड़ितों या मृतकों के परिजनों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। न्यायाधिकरणों में अंतर्निहित सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण क्षतिपूर्ति राशि का बड़ा भाग मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों या एजेंटों/दलालों द्वारा अज्ञानता, निरक्षरता अथवा शोषण की प्रवृत्ति के चलते व्यर्थ खर्च किया जा सकता है, जिससे पीड़ितों या उनके परिवारों का शोषण होने की संभावना बढ़ जाती है।

अतः उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने थाना प्रभारी अधिकारियों को धारा 158(6) के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिए हैं तथा महानिदेशकों को यह निर्देश देने हेतु आदेशित किया गया है कि वे बिना बीमा वाले वाहनों के चालकों और स्वामियों के विरुद्ध धारा 196 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही

प्रारंभ करें। साथ ही, उच्च न्यायालयों के पंजीयक महानिदेशकों *को* भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वे दावा न्यायाधिकरणों को यह आदेश दें कि वे धारा 158(6) के अंतर्गत प्राप्त दुर्घटना सूचना रिपोर्टों को धारा 166(4) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति आवेदन के रूप में दर्ज करें और उन पर कार्यवाही करें, बिना इस प्रतीक्षा के कि पीड़ितों या उनके परिजनों द्वारा पृथक दावा याचिका दायर की जाए। इसके अतिरिक्त, न्यायाधिकरणों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि आवश्यक अभिलेख, प्रपत्र आदि की उपलब्धता न्यायाधिकरणों में बनी रहे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दावे न्यायाधिकरणों को कुछ विशेष निर्देश भी दिए गए हैं, जो पैराग्राफ 21 और 22 में निमानुसार हैं –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. धारा 166(4) के अनुपालन के लिए, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे—

(a) न्यायाधिकरण को एक संस्थान पंजी बनाए रखना होगा, जिसमें पुलिस थाना अधिकारियों से प्राप्त दुर्घटना सुचना रिपोर्ट का अभिलेख रखा जाए और उन्हें विविध याचिकाओं के रूप में पंजीकृत किया जाए। यदि कोई निजी दावा... (आगे का भाग अगले पृष्ठ में जारी है)

(b) न्यायाधिकरण दुर्घटना सूचना रिपोर्टों ए. आई. आर को विविध याचिकाओं के रूप में सूचीबद्ध करेगा। न्यायाधिकरण प्रारंभिक सुनवाई की एक तिथि निर्धारित करेगा ताकि पुलिस उस तिथि की सूचना पीड़ित (या मृत्यु के मामले में पीड़ित के परिवार) तथा दुर्घटना में शामिल वाहन के स्वामी, चालक और बीमाकर्ता को दे सके।जब दावा करने वाला/वाले उपस्थित हो जाते हैं, तो यह विविध आवेदन *दावा याचिका* में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यदि कोई दावा करने वाला न्यायाधिकरण को ए. आई. आर प्राप्त होने से पहले ही दावा याचिका

दाखिल कर देता है, तो उस स्थिति में ए. आई. आर को उस दावा याचिका से *संलग्न* किया जाएगा।

(c) न्यायाधिकरण यह जांच और सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत ए. आई. आर वास्तव में किसी वास्तविक *दुर्घटना* से संबंधित है और यह किसी मिलीभगत या झूठी दुर्घटना का परिणाम नहीं है — जैसे कि *पुलिस अधिकारी–अधिवक्ता चिकित्सक* के गठजोड़ द्वारा गढ़े गए कई मामलों में पाया गया है।

(d) न्यायाधिकरण एक *संक्षिप्त जांच* के माध्यम से मृतक या पीड़ित के *निर्भर पारिवारिक सदस्यों/वैधानिक उत्तराधिकारियों*) की पहचान करेगा। क्षेत्राधिकार पुलिस भी जांच कर ऐसे निर्भर उत्तराधिकारियों के नाम न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

(e) न्यायाधिकरण पंजीकृत दावा मामलों को दो वर्गों में विभाजित करेगा — (1) वे मामले जिनमें बीमाकर्ता *देयता* पर विवाद करता है, और (2) वे मामले जिनमें बीमाकर्ता देयता पर विवाद नहीं करता।

(f) जहाँ बीमाकर्ता अपनी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देयता से *इंकार नहीं करता*, वहाँ न्यायाधिकरण को यह प्रयास करना होगा कि *संक्षिप्त जांच* द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण कर दे या मामला *लोक अदालत* में निपटान के लिए भेज दे — ताकि स्वयं दावा याचिका का निपटान *पंजीकरण की तिथि से छह माह के भीतर* कर दिया जाए।

(g) बीमा कंपनियों को यह निर्देश दिया जाएगा कि वे *स्वीकृत राशि* या *निर्धारित की गई राशि* को निर्धारण की तिथि से 30 दिनों के भीतर *दावा अधिकरण* में जमा करें।न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि क्षतिपूर्ति राशि को सावधि में जमा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रखा जाए और उसका वितरण *केरल एस.आर.टी.सी. बनाम सुषम्मा थॉमस* में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाए।

(h) चूँकि धारा 158(6) और 166(4) के अंतर्गत आरंभ की गई कार्यवाहियाँ प्रकृति में धारा 166(1) के अंतर्गत पीड़ित द्वारा दाखिल आवेदन से भिन्न हैं, इसलिए *धारा 170* के प्रावधान यहाँ लागू नहीं होंगे।अतः बीमाकर्ता को यह अधिकार होगा कि वे न्यायाधिकरण की सहायता कर सकें — *स्वतंत्र रूप से या वाहन मालिकों के साथ मिलकर* — दुर्घटना, चोटों, आयु, आय, मृतक पीड़ित के आश्रितों आदि से संबंधित तथ्यों की सत्यता की जाँच में तथा क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उपर्युक्त निर्देश न्यायाधिकरणों को दिए जा रहे हैं, किन्तु इससे प्रत्येक न्यायाधिकरण के *विवेकाधिकार*) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रत्येक न्यायाधिकरण यह तय कर सकता है कि धारा 169 के अनुसार कौन-सी *संक्षिप्त प्रक्रिया* अपनाई जाए। कई न्यायाधिकरण, धारा 168 और 169 में निहित निर्देशों के अनुसार संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाने के बजाय, मोटर दुर्घटना दावों की जाँच *सामान्य सिविल वादों* की तरह करते हैं — जिसे टालना आवश्यक है। न्यायाधिकरण को चाहिए कि वह सक्रिय भूमिका निभाए, क्षतिपूर्ति से संबंधित आवेदनों का *शीघ्र एवं प्रभावी निपटान* करे और *साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165* के प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करे, ताकि *न्यायोचित क्षतिपूर्ति* निर्धारित की जा सके।

7. उपर्युक्त विचार-विमर्श के आलोक में, यह अपील स्वीकार की जाती है और दिनांक **19.12.2000** के उस आदेश को अपास्त किया जाता है, जिसके द्वारा दावा याचिका को चूक के कारण खारिज किया गया था।साथ ही यह निर्देश दिया

जाता है कि संबंधित दावा याचिका को उसके मूल क्रमांक में बहाल किया जाए तथा उसका शिघ्रातिशिग्र विधि के नियमानुसार निर्णित किया जावे चूंकि दोनों पक्ष इस न्यायालय में उपस्थित हैं, अतः उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे **22** नवम्बर **2010** को संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। दावा अधिकरण के अभिलेख को तत्काल वापस भेजा जाए। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षरित

सही/-

आई एम कुद्दुसी न्यायधीश

हस्ताक्षरित

सही/-

एन के अग्रवाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|

TRANSLATED BY RAKSHITA MISHRA